

18/10/24

पत्रावली पेश हुयी। अपीलेंट का  
स्पष्ट ज्ञापना एवं दूरभाष संख्या  
अंकित नही है। अधिवक्ता अपीलेंट द्वारा  
No insurrection plea किया जो ठुम है  
अपीलेंट अनुपस्थित है। अतः अपील  
अपीलेंट पुनः पुस्तुत करने के विकल्प  
के साथ अफम राजरी व अफम फीरवी में  
व्यारिज की जाती है। पत्रावली इसी  
मुनाबिक निर्णित लेटर संख्या से एक  
कम लेटर बाफ तकमील कबिल सत्त  
है।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली